सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 6, बुधवार, शाके 1942–अक्टूबर 28, 2020 *Kartika 6, Wednesday, Saka 1942–October 28, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 13, 2020

एस. ओ. 398:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह राय होने पर कि राजस्थान में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्योगों से आज्ञापक उपापन आवश्यक हैं और इसी तरह राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से उपापन में क्रय अधिमानता घरेलू उद्योग की प्रोन्नति और राज्य सरकार की सामाजिक - आर्थिक नीति को अग्रसर करने के लिए आवश्यक है, राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)एफडी/जी एफ एण्ड ए आर/2011 दिनांक 19.11.2015 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के खण्ड (8) में विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (घ) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान खण्ड (ख) या, यथास्थिति, (ग) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले प्रस्तावित परिमाण के मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर पर और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निष्पादन प्रतिभूति माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम के 0.5 प्रतिशत की दर पर होगी।"

[सं. एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

टी. रविकान्त,

शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।